Statement

- 1 Afghanistan
- 2. Australia
- 3. Argentina
- 4. Algeria
- 5. Bulgaria
- 6. Brazil
- 7. Bangladesh
- 8. Belgium
- 9. Baharain
- 10. Czechoslovakia
- 11. Colombia
- 12. Cuba
- 13. Cyprus
- 14. Democratic peoples Republic of Korea.
- 15. France
- 16. F.R.G
- 17. Greece
- 18. G.D.R.
- 19 Guyana
- 20. Hungary
- 21. Iraq.
- 22 Indonesia
- 23. Iran
- 24. Italy
- 25. Japan
- 26. Jordan
- 27. Kuwait
- 28 Lesotho
- 29. Malaysia
- 30. Mongolia
- 31. Mauritius
- 32. Mexico
- 33. Norway
- 34. Poland
- 35. Philippines
- 36. P. D. R. Yemen
- 37 Portugal
- 38. Romania
- 39. Republic of Korea
- 40. Rwanda
- 41. Senegal
- 42 Somalia
- 43 Sri Lanka

- 44. Sudan
- 45. Syria
- 46. Tanzania
- 47. Tunisia
- 48. Turkey
- 49 Thailand
- 50. United Arab Emirates
- 51. A.R.E. (Egypt)
- 52 USSR.
- 53. Vietnam
- 54. Yugoslavia
- 55. Zaire
- 56 Zambia

माली में श्रमिकों के लिए मकान

1831. श्री मूल चन्द **डागा : वया** निर्माण श्रीर श्रावास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

- (क) राजस्थान के पाली शहर में श्रिमकों के लिये बनाए गए 500 मकानों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान मरम्मत कार्य करने में कितनी राशि खर्च की गई है;
- (ख) क्या सड़कों तथा जल निकास कार्यों की मरम्मत नहीं की गई है ग्रीर श्रीमकों के लिये इन मकानों को बनाये जाने के बाद से उन्हें ग्रन्य सुविधायें भी नहीं दी जा रही है.
- (ग) क्या सरकार ने उन मकानों का स्वामित्व ग्रिधिकार श्रिमिकों की देने के लिये कोई निर्णय ले लिया है ताकि वे स्वयं ही मकानों की मरम्मत करवा सकें; ग्रीर
- (घ) यदि हां, तो इस निर्णय को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण ग्रीर ग्रावास मंत्री (श्री भोष्म नारायण सिंह): (क) तथा (ख). सम्भवतः इस प्रश्न का सन्दर्भ ग्रीद्योगिक कर्मचारियों की सहायता प्राप्त ग्रायोगिक ग्रावास योजना के ग्रन्तर्गत बनाये ग्रये ग्रावासों से है। यदि ऐसा है तो राजस्थान सरकार ने उक्त ग्रावास योजना के ग्रन्तर्गत तीसरी योजना ग्रवधि के दौरान पाली मे श्रमिकों के लिये 600 क्वार्टरों का निर्माण किया था। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान इन मकानों की मरम्मत पर 1,06,513 रुपये की राशि खर्च की गई थी ग्रौर कि जल निकास, पेय जल ग्रादि पर कोई खर्च नहीं किया गया था।

- (ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य मरकारों को इस बात की अनुमति देने के लिये फरवरी, 1978 में निर्णय लिया कि वे उपर्युक्त योजना के म्रन्तर्गत भौद्योगिक कर्मचारियों के लिये उन के द्वारा बनाए गए मकानो को मौजूदा दखलकारो को बेच दे। देय मूल्य वास्तविक लागत का 80 प्र०श० श्रौर किराया खरीद की मुविधाएं उपलब्ध होगी । इस रियायत के अन्तर्गत कोई टेनामेन्ट बेचने से पहले, दखलकार को सभी वकाया किराया तथा भ्रन्य देय राशि देनी होगी। उसे खरीदने की तारीख से 10 वर्षों के भीतर टेनामेन्ट को पून: बेचने की अनुमति नही दी जाएगी । विक्रय की तारीख के श्रागे से टेनामेन्ट के करों के भगतान का ग्रौर उस के मरम्मत तथा रख-रखाव की भी जिम्मेदारी उस खरीदार की होगी।
- (घ) प्रश्नाधीन भ्रावासों का स्वामित्व राजस्थान सरकार का है जिन्होंने ग्रभी तक इस बात का भ्रन्तिम निर्णय नहीं लिया है कि क्या ये भ्रावास दखलकारों को बेचने हैं या नहीं।

Transfer of Land to Bombay Municipal Corporation by the Centre

- 1832. DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Will the Minister of WOLKS AND HOUSING be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that many development works proposed to be undertaken by the Bombay Municipal Corporation have been held up in the Bhandup-Kanjur Area because the land belongs to the Central Government:
- (b) if so, whether the Government is ready to transfer the land to the Municipal Corporation at nominal rates; and
- (c) whether there are any further difficulties or delay regarding the transfer?

THE MINISTER OF PARLIA-MENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) We have no information. However, the Municipal Corporation of Bombay sent some proposals for transfer of Salt Deptt's land to them. Some of these have been cleared and the remaining are with Salt Department.

- (b) Transer of Central Govt. lands to the Corporation can be made only in accordance with the Govt. rules and orders laid-down for the purpose.
- (c) In case proposals are received complete in all respects together with necessary undertaking to pay the market value etc., the land can be considered for transfer. However, in cases where the lands are already leased out for salt manufacture, for a specified period action has to be taken for termination of lease and closing the Salt factory, or portion thereof, in accordance with the rules before the lands can be transferred.